न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभासिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 86/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
सरूपाराम पुत्र राजूराम जाट निवासी– लेगो की ढाणी, सोहडा, तहसील गिडा, जिला बालोतरा।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिडा। 2. उगराराम पुत्र स्व. हुकमाराम 3. टीकूराम पुत्र स्व. हुकमाराम 4. भेराराम पुत्र स्व. हुकमाराम 5. भीखों देवी पत्नी स्व. हुकमाराम 6. कौशलाराम पुत्र पूर्णाराम 7. दुर्गाराम पुत्र पूर्णाराम 8. लच्छाराम पुत्र पूर्णाराम 9. हरदानराम पुत्र पूर्णाराम 10. धनाराम पुत्र लूम्बाराम 11. नगाराम पुत्र लूम्बाराम 12. पदमोदेवी पुत्र लूम्बाराम 13. मानाराम पुत्र लूम्बाराम 14. रेखाराम पुत्र लूम्बाराम 15. सरूपाराम पुत्र लूम्बाराम 16. सताराम पुत्र लूम्बाराम जाट निवासी– लेगो की ढाणी, सोहडा, तहसील गिडा, जिला बालोतरा।

न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश जो उपखंड अधिकारी, बायतू के द्वारा जारी आदेश क्रमांक राजस्व/2022/ 1165 दिनांक 28.02.2022 को पारित किया गया

उपस्थितिः–

1. श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.संख्या 01 की ओर से।
3. श्री दयाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2 ता 13 एवं 15 की ओर से।
4. श्री पीराणेखान, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 16 की ओर से।
5. शेष रेस्पो0 संख्या 14 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 30 जून, 2025

1. अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक तहसीलदार, गिडा के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी के समक्ष दिनांक

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

17.12.2021 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि ग्राम लेगों की ढाणी, सुथारों की ढाणी, नीम्बा की ढाणी के विभिन्न खातेदरान के अलग–अलग खसरों की रकबा भूमि में से मौके पर कच्चे रास्ते/ग्रेवल सड़क/डामर सड़क के उपयोग में जो भूमि आ रही है, उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार गिडा की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उपरोक्त वर्णित खसरों की भूमि में से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2022 को पारित कर दिये गये। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.09.2023 को पेश की है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 5.9.2023 के अनुसार यह कथन किया कि अपीलाधीन कार्यवाही के जारी आदेश दिनांक 28.2.2022 को अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं हुई। उक्त सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.8.2023 को पटवारी हल्का के पास अपीलान्ट जब जमाबन्दी लेने हेतु गया तब पटवारी के द्वारा अपीलान्ट के उक्त ख0सं0 87 व 90 में से रास्ता खोलने का आदेश पारित होना बताया। तब अपीलार्थी द्वारा बायतू जाकर अधीनस्थ न्यायालय से नियमानुसार दिनांक 31.8.2023 को नकले प्राप्त की गई। तत्पश्चात अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील तैयार करवाकर यह अपील पेश की गई है। ऐसे में अपील पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय है एवं अपीलार्थी को सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना पारित किया गया है, ऐसे में अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना आवश्यक है। अतः धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावे। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने बाबत रेस्पोडेन्टस् के विद्वान अधिकक्तागण के द्वारा विरोध प्रकट किया गया। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान की बहस सुनने के उपरान्त अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

3. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, बायतू के द्वारा पारित आदेश पूर्ण रूप से नियम, न्याय, अभिलेख व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध मनमाने तौर पर एवं स्पष्ट रूप से न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

करते हुए पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम लेगो की ढाणी तहसील गिडा के भूमि ख0सं0 87 रकबा 15.1028 हैक्टर व ख0सं0 90 रकबा 7.3572 हैक्टर अपीलान्ट की पीढियों की सहखातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि आई हुई है जिसके चारो तरफ अपीलार्थी/खातेदारान बाड़माठ करके काबिज है, जिसमें से होकर कोई भी कदीमी रास्ता नहीं चलता है, न पहले कभी चलता था।

4. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस यह कथन किया गया कि तहसीलदार गिडा द्वारा अपीलार्थी के ख0सं0 87 व 90 में से राजस्व रेकर्ड में रास्ता अमल दरामद करने व नक्शा ट्रेस में दुरूस्त कराने का दिनांक 17.12.2021 को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय में न तो दर्ज किया गया और न ही सम्बन्धित हितबद्ध व खातेदारान को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर ही दिया गया तथा बिना किसी जॉच के दिनांक 28.2.2022 को अपीलार्थी की भूमि को रास्ते मे दर्ज करने का गैरकानूनी आदेश पारित कर दिया। मौके पर कदीमी रास्ता चलने का कोई अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ। इस बाबत खातेदारान से भी कोई सहमति नहीं ली गई। इन परिस्थितियों में खातेदारान की सहमति के बिना खातेदारी भूमि को रास्ते में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। धारा 136 राज0भू राजस्व अधिनियम में भी भूमि की किस्म को बिना खातेदार की सहमति के परिवर्तन करने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही उनके खातेदारी अधिकार समाप्त करने का अधिकार है। तहसीलदार को यदि किसी प्रकार से रास्ते की आवश्यकता है तो तहसीलदार ऐसी कार्यवाही केवल भूमि अवाप्ति की कार्यवाही करके ही रास्ता घोषित कर सकते है।

5. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि तहसीलदार गिडा की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश प्रस्ताव पर उपखण्ड अधिकारी के द्वारा राज्य सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप–6), जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003 दिनांक 10.8.2016 का हवाला देते हुए उल्लेखित भूमि में संचालित रास्ते को रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.2.2022 पारित किया गया है, वह समस्त कार्यवाही व अपीलाधीन आदेश गैरकानूनी व अधिकार क्षेत्र से बाहर का होने से निरस्त योग्य है। राज्य सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 10.8.2016 की आड़ में अपीलार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है और न ही भूमि का मुआवजा दिये बिना भूमि राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज की जा सकती है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जाकर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2022 एवं उसके परिणामस्वरूप दर्ज नामा0 संख्या 284 व 285 दिनांक 23.8.2023 को निरस्त किये जावें।

6. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 01 की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि तहसीलदार गिडा के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.12.2021 को एक प्रस्ताव पेश कर ग्राम लेगों की ढाणी, सुथारों की ढाणी, नीम्बा की ढाणी के विभिन्न खातेदारान के अलग–अलग खसरों की भूमि में से मौके पर कच्चे रास्ते/ग्रेवल सड़क/डामर सड़क में जो भूमि आ रही है, उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये हेतु निवेदन किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जनहित एवं ग्रामीणों के आवागमन की सुविधा को देखते हुए स्वीकार कर दिनांक 28.2.2022 को जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वो विधि के अनुकूल होने से यथावत रखे जाने योग्य हैं। उक्त वर्णित विवादित भूमि के खातेदारों में से केवल मात्र एक खातेदार (अपीलान्ट) के द्वारा यह अपील पेश कर अपीलाधीन आदेश को बिना किसी आधारो पर चुनौती दी गई है अन्य किसी काश्तकार/खातेदार जो कि वर्तमान अपील में संस्थित सभी रेस्पोडेन्ट्स (मात्र रेस्पो0 संख्या 16 को छोडकर) के द्वारा इस पर कोई आपत्ति नहीं की गई है। अतः अपीलान्ट की अपील इस आधार पर खारिज की जावें।

7. रेस्पो. संख्या 2 ता 13 एवं 15 के उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने भी राजकीय अधिवक्ता की ओर से की गई बहस का समर्थन किया तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतू के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.2.2022 को जनहित एवं ग्रामीणों के आवागमन की सुविधा की दृष्टि से उचित बताया तथा उक्त आदेश को विधि के अनुकूल होना बताते हुए यथावत रखे जाने योग्य बताया हैं। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने के आधार पर खारिज की जावें।

8. रेस्पो. संख्या 16 के उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि तहसीलदार गिडा की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश प्रस्ताव पर उपखण्ड अधिकारी के द्वारा राज्य सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप–6), जयपुर के परिपत्र कमांक प.3(2)राज–6/2003 दिनांक 10.8.2016 का हवाला देते हुए उल्लेखित भूमि में संचालित रास्ते को रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय व नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है।

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उक्त अपीलाधीन आदेश में रेस्पो0 संख्या 16 के ख0सं0 162/73 रकबा 4.3787 हैक्टर में से 0.3202 हैक्टर भूमि को गैर मुमकिन रास्ते हेतु अवाप्त कर लिया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व रेस्पो0 संख्या 16 को अपना पक्ष रखने का व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था। अपीलान्ट के द्वारा उपरोक्त अपील पेश होने की जानकारी होने पर अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार होने के कारण उनके द्वारा पक्षकार अपील बनाया गया है। राज्य सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 10.8.2016 की आड़ में अपीलार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है और न ही भूमि का मुआवजा दिये बिना भूमि राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज की जा सकती है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाये तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.2.2022 को निरस्त किया जावें। अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2024(2) पेज 788 तथा राजस्व विभाग, जयपुर के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.8.2016 अवलोकनार्थ पेश किये जिनका बगौर अवलोकन किया गया।

9. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से की गई बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का बगौर अवलोकन किया जिससें यह पाया गया है कि उपखण्ड अधिकारी, बायतू के द्वारा तहसील गिडा के ग्राम लेगों की ढाणी, सुथारों की ढाणी, नीम्बा की ढाणी के विभिन्न खातेदारान की अलग–अलग खसरों की भूमि में से मौके पर कच्चे रास्ते/ग्रेवल सड़क/डामर सड़क के उपयोग में जो भूमि आ रही है, को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत तहसीलदार गिडा के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने बाबत पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2022 को अपीलान्ट के द्वारा इस आधार पर चुनौती पेश की गई है कि उन्हें प्रकरण में सूचना एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है और न ही इस विषय में कोई जॉच करवाई गई थी। साथ ही खातेदारान की सहमति के बिना उनकी खातेदारी की भूमि को रास्ते में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

10. उक्त अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाधीन आदेश में कुल 46 व्यक्तियों/खातेदारों के नाम दर्ज भूमि में से मौके पर चल रहे कच्चे रास्ते/ग्रेवल सड़क/डामर सड़क की भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.2.2022 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

तहसीलदार गिडा की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए पारित किया गया है। उक्त कार्यवाही पटवारी हल्का की ओर से मौके की जॉच कर जॉच प्रतिवेदन तहसीलदार को पेश किये जाने के उपरान्त तहसीलदार गिडा के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 के दौरान ग्राम पंचायत, नीम्बा की ढाणी के द्वारा प्रस्ताव लिया जाना प्रकट होता है। उक्त अपीलाधीन आदेश को एक अपीलान्ट के अलावा अन्य किसी भी खातेदार अथवा ग्रामीण द्वारा किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं गई है और न ही ऐसा कोई तथ्य ध्यान में आया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त रास्ते/सड़क की भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन दर्ज किये जाने बाबत जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो ग्रामीणों के आवागमन की सुविधा को देखते हुए तथा व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए किये जाने पाया जाता है, उसमें किसी प्रकार की विधि की त्रुटि नहीं की गई है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

11. अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.2.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 30 जून, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर